

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 04 / EXAM / V.O. / RPSC / EP-I / 2025-26

दिनांक : 17.07.2025

आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) के 1100 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post(s)	Gen. (UR)			S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.				
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
Veterinary Officer	1100	250	73	29	8	139	40	16	3	129	37	14	3	145	43	17	4	34	11	4	1

Horizontal Reservation :-

1. Ex. Ser. - (Gen./UR-34 (Backlog-16), SC-13 (Backlog-6), ST-10 (Backlog-4), OBC-18 (Backlog-8), MBC-4 (Backlog-2), EWS-9 (Backlog-4))

नोट:- 1. दैतिज आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक हेतु दर्शाये गये बैंकलोग का पद पूर्व भर्ती-2019 के बैंकलोग के हैं।

2. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु रिक्त दराये गये पदों में से 39 पद अनुसूचित जाति के व 63 पद अनुसूचित जनजाति के बैकलोंग के हैं जिन्हें प्रथम बार अप्रील में किया जा रहा है।

3. P.H. शोधों के अनुसूचित पदों के संबंध में लिखा एवं वर्तमान पाठां द्वारा प्राप्त ऐसी जारी किया जायेगा।

- ³ P.H. श्रीणा के आरक्षत पदवा के संबंध में विभाग से विवारण प्राप्त होने पर पृथक् से जारी किया जायगा GBC

Abbreviations Used: GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोगाने के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
 - राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
 - किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमत अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अन्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अन्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
 - विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अन्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
 - राजस्थान सिद्धिल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गावार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या आगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्परशत ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
 - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमत निःशक्तजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरापत्र राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एसटी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
 - कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अन्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। टिप्पणी-“बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अन्तर्गत पद आरक्षित होने की विश्विति में ही लाभ होंगे।”

शैक्षणिक योग्यता :-

(1) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or its equivalent from a University established by law in India.

(1) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or its equivalent from a University
(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Bengalbari Culture

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

- 1. अम्यथा का राजस्थान पश्चिमांचलता पारवद, जयपुर से अस्थाया / स्थाइ पजायन आवदन के
 2. अम्पर्णी को अनिवार्य हन्तर्विधि विवित प्राची की विधि से पर्व तक पार्षदोना आवश्यक है।

२. अन्यथा का आनंदयोग्य इन्हाँशपंथ परकारों का त्रित्य से संपूर्ण तक पूर्ण होना आवश्यक है।

Note: 1. अर्थर्थ को वाचिति शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुमत व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अर्थर्थियों को आयोग द्वारा अनुमत नहीं दी जाती। अनुमत दिलिजित अर्थर्थ को आवेदन करने पर एक अलग अप्रैवासी अवधि दी जाती है।

द्वारा आनलाइन आवदन पत्र का अनुमत शिक्षण तिथि तक आनलाइन आवदन पत्र का प्रत्याहार (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवदन करना तथा अहत नहीं होन पर भी उस प्रत्याहारण (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय सहित, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे असत्यों को कालान्तर में काउन्सिलिंग/प्राप्तात्र जांच/साक्षात्कार के दौरान अपार पाये जाने पर विवादी वार्ता के अन्तर्गत अपराध के रूप में दर्शाया जाता है।

पर इस प्रकाश का आनलाइन आवदन का निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए मता प्रशासन से विवाजित (Debar) किया जायगा।

लेवल नोट :- राज्य सरकार

आयु सीमा दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
सेवा: इस साल आयोजित रूप से वर्ष 2015 में शिक्षिति दिये गए से शिक्षिते वर्ष 2026

नोट :- उक्त पद आयाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार दिनांक 01.01.2020 को रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दशाईं गई वर्गवार की सिवियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आम सीमा में छट प्रावधान

क्र.सं.	आधिकारियों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियाँ	आधिकारिक आयु में देव छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अमर्यादी	5 वर्ष Five Years

	Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विशिष्ट विवाह (परिपत्रका) महिला Widow and divorced Women Explanation: - That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	अपवादीय मामलों में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। that the upper age limit mentioned above, may be relaxed by 5 years in exceptional Cases by the Government in consultation with the Commission.	
6.	रिजर्वेस्ट अधीक्षी रक्षा सेवा कर्मचारी जो रिजर्व में ट्राईकार किये गये हों, के लिए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। that the upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservists namely the defence service personnel who were transferred to the Reserve.	
7.	ऐसे भूतपूर्व केंद्री के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था। that the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of Ex-prisoner who was not overage before his conviction.	
8.	इस सेवा के किसी पद पर अख्याई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। that the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto 2 chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। that the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the National Cadre Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	राज्य सरकार के कार्यकालार्पों के संबंध में substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in Substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
11.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। that the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.	
12.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकर्मों/नियमों के कार्य कलार्पों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारात व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। that the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
13.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञाय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होती अर्थात आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
14.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपरी अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।		
नोट -		
1.	उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंबंधीय (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट देय जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लम्बात (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिल्डेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) शिक्षितों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होगे।	
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कोलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त पदों एवं अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को अनुसंसित किए जायेंगे जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Multiple choice type question) के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।	
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 05.08.2025 से दिनांक 03.09.2025 तक 12:00 बजे तक।	

- आवेदन प्रक्रिया**
- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के संशोधन में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुरानन्द ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होगे।
 - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्ड्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होगे।
 - जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।
 - अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संमत नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अकित प्रविष्टि का शैक्षणिक दस्तावेजों में अकित प्रविष्टियों से सावधानपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
- Note:** ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि यथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें।
 - अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँधें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभियाजग की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक् से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।
 - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें।
 - अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
 - अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुमत वाला विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।
 - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
 - आवेदक जिस प्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी प्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डिवार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए खाली होगा।
 - राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
 - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉफी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।
 - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय—समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृथक् से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
 - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाएं गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है।

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर नियमानुसार शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
 - आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
- Note:** विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परिवर्तन का ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की रिप्टि में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकती है।
- One Time Registration (OTR)** लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन नहीं होगा।
 - किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
 - किसी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।
 - आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
 - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी अधिकार नहीं होगा।

एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिवर्तन दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो नियमानुसार है:-

- सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – रूपये 600/-
 - आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-जॉन नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग/सहरिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी – रूपये 400/-
 - दिव्यांगजन – रूपये 400/-
- नोट :-**
- राजस्थान राज्य से भिन अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
 - जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रेजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रेजिस्ट्रेशन के आँशन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं।
- एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् परीक्षाओं में उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिवर्तन दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि**

निम्नलिखित हैं:-

- (i) कोई अमर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपरिस्थित नहीं होता है तो
ऐसी स्थिति में अमर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (ii) अमर्थी द्वारा शुल्क 750/- रुपये का मुगातान करने के पश्चात ही एकार्यीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
- (iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अमर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अमर्थी के द्वारा राशि रुपये 1500/- का मुगातान करने के पश्चात ही ओटीआर सुविधा पुनः चालू की जायेगी।

टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपरिस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ओटीआर प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अमर्थीयों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अमर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अमर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अमर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अमर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अमर्थीयों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अमर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्रशीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अमर्थी जो आयोग/केन्द्रशीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अमर्थीयों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अमर्थी का वचन—पत्र केन्द्रशीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिमापित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अमर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अमर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उत्तर श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिमापित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिमापित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अमर्थीयों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण—पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme of Examination

S. No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
Part-A	General Knowledge of Rajasthan	40	40	2 Hours & 30 Minutes
Part-B	Concerned Subject	110	110	
	Total	150	150	

Note: *The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.

2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.

3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: - Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

उत्तर पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण चिन्ह/नोट :-

1. अमर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई—मेल आईडी ऑक्टिकर करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में ऑक्टिकर मोबाइल नम्बर व ई—मेल आईडी बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अमर्थी की रख्य की जिम्मेदारी होगी।
2. अमर्थी योग्यसम्मव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यापक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आवश्यक हो जाएं कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगा।
3. अमर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अमर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई—मित्र/अन्य अधिकारी अवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी समर्पण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से सुन: कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का समर्पण वायित्र स्वयं अमर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिंरायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई—मित्र अधिकारी अन्य स्त्रीत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई—मित्र अधिकारी अन्य स्त्रीत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन—पत्र पर जारी भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अमर्थी की श्रेणी से मिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परिच्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/श्रेणी भरे जाने पर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जाता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/श्रेणी भरे जाने पर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जाता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/श्रेणी भरे जाने पर आवेदन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अमर्थीयों को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख करते हैं तो वर्ग विशेष पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक



<p>द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।</p>	
<p>7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई—प्रेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करते समय यदि अभ्यर्थी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट विवाह/तलाकशुदा/परिवर्यका/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों के परिणामवरूप अभ्यर्थी की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।</p>	
<p>8. किसी भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वयं ही निक्षिप्त हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अध्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।</p>	
<p>9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विवाह/परिवर्यका/विचिन्न विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विवाह/विचिन्न विवाह/तलाकशुदा/परिवर्यका वर्ग का लाभ दिया जायेगा।</p>	
<p>10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सूचार संशोधन अवधि के पश्चात कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विवाह हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवेदी परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विवाह हेतु आवार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) हेतु निश्चितता प्रमाण—पत्र मय 500/- रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विवाह/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनर्शब्दोक्तन नहीं किया जायेगा।</p>	
<p>11. विचिन्न विवाह/तलाकशुदा/परिवर्यका महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (भाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवर्यका/तलाकशुदा/ विचिन्न विवाह आवेदक का तलाक संबंधी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लिक्षित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं होई है, तो परिवर्यका/विचिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।</p>	
<p>12. विचिन्न विवाह/तलाकशुदा/परिवर्यका महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह की आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>	
<p>13. आवेदक उत्तर पत्र हेतु तभी आवेदन करें जब वह उत्तर पत्र हेतु विज्ञापन में निश्चित निवार व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशंसकारी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा।</p>	
<p>14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निन्मतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।</p>	
<p>15. परीक्षार्थीयों को ई—प्रेश—पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।</p>	
<p>16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा—नि�र्देशों के अनुसार प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।</p>	
<p>17. प्रश्न—पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा दैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अभ्यर्थीयों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।</p>	
<p>18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीनक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षा/संवेदी परीक्षा की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवहान/हंगामा करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीनक जो भी उल्लिखित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध डिवार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में सम्मिलित होने की अनुमति दियी जायेगी।</p>	
<p>19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अमद्द व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दियी जायेगी।</p>	
<p>20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।</p>	
<p>प्रमाण—पत्रों का संत्यापन :-</p> <p>आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विवाह/तलाकशुदा/परिवर्यका/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवेदी परीक्षा में उत्तम धोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु नियमानुसारित दस्तावेज करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-</p>	
<p>1. कार्यिक (क-2) गांधी के प्रतिनिधि दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अत्यधियों को आवश्यक का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण—पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करने की गई अन्तिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आवार का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।</p>	
<p>* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विवाह के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा नियमानुसार अनुसूचित प्रवार्ग पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो ऐसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।</p>	
<p>2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही—सही एवं पूर्व भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार आवेदन पत्र के आधार की आवश्यकता प्रवार्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, नाम व नाम व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।</p>	
<p>3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आवश्यक का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के लाभ में आवेदक के लाभ में आवेदन करना होगा।</p>	
<p>4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियार्थित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण—पत्र कार्यिक विवाह की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उत्तर अधिसूचना जारी होने के पश्चात का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।</p>	
<p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवार्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।</p>	
<p>6. अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार परिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियार्थित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।</p>	

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/प्रैश्निकांग योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे—श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुभूतित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान की गणना हेतु सेकेटरी परीक्षा प्रमाण—पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की बेसाइट पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार प्रमाण—पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम विकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजप्रियत राज्यवारी, मन्त्रालयिक कर्मचारी, विवाहीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मूल्य प्रमाण—पत्र एवं पति के नाम से लिखे प्रमाण पत्र (थथा—विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता परचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अव्याधा विवाह श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परियक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा परित तलाक सम्बन्धी डिग्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परियक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

*नोट:- निवासालय विशेष योग्यता के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुए ही मार्य होंगे।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्राव्यान—कार्मिक (क-2) विवाह की अधिकारी द्वारा राजस्थान सरकार के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् संवानिवृत्त हो गया/ही वै आयोगी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से नियमित प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, वह के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियमेप्र प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्त से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकता और उसकी सेवानिवृत्त के दो माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विवाह के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनिपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आवेदन का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्तिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् उसकी भूतपूर्व सैनिक की एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निमन्त्रित पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण सेवा में किसी निमन्त्रित पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद पद जिनके लिए उसने आवेदन की तारीख—वार ब्लॉरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वर्चनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। “कार्मिक (क-2) विवाह की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों का देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।”
9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)ग्रह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राज्यपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाढ़नीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/सन्तानों की संख्या में बढ़ाती होनी वर्ष, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यामान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ाती होती है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विविध के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विवाह एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परियक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाढ़नीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखनानुसार आवश्यक वाढ़ित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परियक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विवाह के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संख्या का चरित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आवरण सम्बन्धी पुलिस सच्चापन प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केंद्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारी पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थी हेतु आयोग द्वारा आयोगी की बेसाइट पर जारी नवीनता एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा से संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवेदन-पत्र से करने होने के अवधारन-पत्र भरने पर आवेदक के विवाह एवं राज्य सेवा में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केंद्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय होगा।


विशेष नोट :-

यह हेतु अल्लेखनायी है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर किसी भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये अनेलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की विवाह विकित्सा/अपूर्ण आवेदन-पत्र एवं राज्य सामान्य विकित्सा जिम्मेदारी रख्ने वाले होते हुए अपात्र होगा।

यह अन्य विकित्सा विवाह एवं उपरान्त संशोधित सेवा यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अंतर्गत इस परीक्षा की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के विवाह एवं राज्य सेवा में बाधा/समस्या उत्पन्न होने के अवधारन-पत्र भरने पर आवेदक का चयन उक्त पदों हेतु अपात्र होगा।

अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण सूचना को सही जांच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अंतर्गत इस परीक्षा की होगी जांच सम्बन्धी विकित्सा की परीक्षण जारी होने के पश्चात् अस्वास्था रूप से विवरणित विकित्सा विवाह एवं उपरान्त संशोधित सेवा यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अन्य विकित्सा विवाह एवं उपरान्त संशोधित परीक्षार्थी हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य विकित्सा निर्देश विवाह एवं उपरान्त संशोधित सेवा यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अंतर्गत इस परीक्षा के संबंध में समय—समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की बेसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अंतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरसाप्त सं-0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।


(रामनिवास मेहता)
सचिव

दिनांक : 17.07.2025

क्रमांक: एफ 7(01) EXAM/V.O. / RPSC/EP-I/2023-24/41

प्रतिलिपि :- उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.वी.5(अर्थना)स्था/अ/2023/00334 दिनांक 11.06.2025 के

संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

 17/7/25

संयुक्त सचिव